कार्यालय जिला पंचायत, जिला ग्वालियर

(पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग, म.प्र. शासन के अन्तर्गत संचालित)

//अस्थायी विद्युत व्यवस्था हेतु निविदा का प्रारूप एवं शर्तें//

संभागीय ग्रामीण हाट बाजार, बारादरी फूलबाग परिसर, ग्वालियर में समय–समय पर आयोजित मेला अवधि में विधुत संबंधित व्यवस्था हेतु सामग्री की किराये पर उपलब्धता हेतु सामग्रीवार वार्शिक दरें आमंत्रित की जाती हैं। स्वीकृत किराया दर पर मॉग अनुसार सामग्री की व्यवस्था की जानी होगी। वित्तीय वर्श 2010–11 में अनुमानतः 6 बडे एवं 6 छोटे मेलों का आयोजन हाट बाजार परिसर में किया जाना प्रस्तावित है। परिस्थिति अनुसार मेलों की संख्या/अवधि कम या अधिक की जा सकती है :–

- निविदाकार हेतु विद्युत ठेकेदार का ''ए'' श्रेणी का पंजीयन आव यक है। प्रमाण पत्र संलग्न करें।
- प्रत्येक निविदा के साथ धरोहर रा ि रूपये 50,000/– (पचास हजार रूपये) नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के पक्ष में देय हो, जमा करनी होगी।
- संभागीय ग्रामीण हाट बाजार वृहदाकार स्वरूप में है, अतः निविदाकार को मेला परिसर में उद्घाटन समापन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अवधि में तीन–तीन व सामान्य दिवसों में प्रत्येक पाली में दो–दो लाईन मैन रखे जाना अनिवार्य है।
- संभागीय ग्रामीण हाट बाजार परिसर में आंतरिक विद्युत वायरिंग सम्बन्धी उपकरण, एवं उपयोग की गई सर्विस लाईन का भुगतान पृथक से देय नही होगा।
- संभागीय ग्रामीण हाट बाजार में लगाये जा रही विधुत उपकरण एवं तार आई.एस. आई. मार्क का होना चाहिए।
- संभागीय ग्रामीण हाट बाजार के अवसर पर निविदाकार को विद्युत कार्य व्यवस्था हेतु दो अनुभवी इलैक्ट्री ियन को रखना अनिवार्य होगा।
- निविदाकार को विद्युत सुरक्षा सम्बन्धी नियम एवं अधिनियम का पालन करना अनिवार्य होगा।
- ठेकेदार को वायरिंग पूर्ण करने के प चात लोड की गणना एंव टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।
- निर्धारित किये गये लोड से अधिक होने पर भोश लोड जनरेटर पर चलाये जाने की व्यवस्था ठेकेदार को करना होगी। जनरेटर हेतु डीजल का व्यय पृथक से नहीं दिया जायेगा।
- जनरेटर की वायरिंग इस प्रकार की जावे कि सभी तरफ जनरेटर पोईन्ट उपलब्ध रहें।

- संभागीय ग्रामीण हाट बाजार प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व लाईट का परीक्षण ठेकेदार को करना अनिवार्य है।
- विधुत व्यवस्था का कार्य ठेकेदार को समक्ष अधिकारी के निर्दे ान में करना होगा।
- ठेकेदार को अपने सामान की स्वयं रक्षा करनी होगी।
- प्रत्येक संभागीय ग्रामीण हाट बाजार प्रांरभ करने से पूर्व लिखित कार्य आदे ा जारी किया जावेगा तथा उसके आधार पर मेला प्रारंभ होने से 24 घण्टे (एक दिवस) पूर्व समस्त तैयारियॉ/व्यवस्था किया जाना होगा, अगर किसी कारणव ा 24 घण्टे पूर्व तैयारी नही की गई, तो भोश कार्य किसी अन्य एजेंसी से मार्केट दर पर कराया जायेगा तथा उस रा ि की वसूली अनुबंधित एजेंसी के भुगतान/सुरक्षा निधि से वसूली कर ली जायेगी। विलंब की द ाा में प्रत्येक घण्टे के लिये एक प्रति ात तक की रा ि जुर्माना स्वरूप अतिरिक्त रूप से वसूली योग्य हो सकेगी।
- प्रत्येक संभागीय ग्रामीण हाट बाजार प चात प्राधिकृत अधिकारी के भौतिक सत्यापन प चात निर्धारित दरों पर देयक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। जिसका भुगतान अधिकतम 15 दिवस में कर दिया जावेगा।
- निर्धारित एजेंसी द्वारा संभागीय ग्रामीण हाट बाजार भवन में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुॅचाया जायेगा। अगर एजेंसी द्वारा कोई भी नुकसान किया जाता है तो उसकी भरपाई की वसूली संबंधित एजेंसी द्वाराकी जायेगी।
- निविदा प्रस्तुत करने वाली एजेंसी को अपने स्वयं के स्वामित्व की सामग्री/तथा दुकान/फर्म के पूर्ण पते पर स्वामित्व की प्रमाण सहित जानकारी निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी। मेला अवधि में अनुबंधित एजेंसी को बिजली से संबंधित अग्नि– ामन व्यवस्था हाट बाजार परिसर में अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- प्रस्तुत वार्शिक दरों के अलावा कोई भी भुगतान जैसे परिवहन व्यय, सर्विस टैक्स आदि का भुगतान नही किया जावेगा।
- संभागीय ग्रामीण हाट बाजार समाप्ति प चात् एजेंसी को संभागीय ग्रामीण हाट बाजार से अपना समस्त सामान तीन दिवस में हटाना होगा। यदि तीन दिवस के बाद सामान संभागीय ग्रामीण हाट बाजार में ही रखा जाता है, तो रूपये 500/– प्रतिदिन के मान से किराया जमा करना अनिवार्य होगा एवं रखे गये सामान की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी।
- निविदाकार निविदा देने के पूर्व स्थल का निरीक्षण स्वयं कार्यालयीन समय में कर सकते हैं।
- आयकर एवं अन्य कर नियमानुसार भुगतान योग्य रा ि में से काटा जायेगा।
- कार्य संतोशप्रद पाये जाने पर स्वीकृत दरों को एक वर्श के लिये बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के पास सुरक्षित होगा।

- निविदाएँ दो लिफाफे पद्धति के आधार पर ही स्वीकार की जावेंगी। लिफाफा क्रमांक–02 में केवल दरें प्रस्तुत करनी होंगी तथा लिफाफा क्रमांक–01 मे अन्य जानकारियॉ/प्रमाण–पत्र/सुरक्षा निधि प्रस्तुत करने होगे। पहले लिफाफा क्रमांक–01 उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोला जावेगा तथा समस्त दस्तावेज सही एंव पूर्ण होने पर लिफाफा क्रमांक–02 खोला जावेगा। लिफाफे के ऊपर लिफाफा क्रमांक तथा निविदा विद्युत व्यवस्था कार्य हेतु आव यक रूप में लिखा जावें।
- निविदा प्रपत्र कार्यालय जिला पंचायत, ग्वालियर से विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 12–04–2010 को दोपहर 2:00 बजे तक रूपये 500/– नगद/डिमाण्ड ड्राफ्ट (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के नाम देय हो) प्रस्तुत कर प्राप्त किये जा सकते है। सीलबन्द निविदायें दिनांक 12–04–2010 को सॉय 4:00 बजे तक जमा की जा सकती है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 13–04–2010 को सॉय 4:00 बजे निविदा समिति के द्वारा निविदाकारों के समक्ष खोले जावेगें।
- किसी भी विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर का निर्णय अंतिम एवं सभी को मान्य होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, ग्वालियर

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंयायत,
ग्वालियर

मैं ———————————————————— फर्म का नाम (यदि हो तो) पता ——————————————————— दूरभाष नं. ...., मोबाईल नं. .... आपके द्वारा जारी विद्युत व्यवस्था कार्य करने को सहमत हूँ। मेरे द्वारा निविदा–पत्र में दी गई शर्तें पढ़कर समझ ली गई है तथा मुझे स्वीकार हैं तथा यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत दरें स्वीकृत होती हैं तो इन भार्तों पर मुझे/फर्म का नाम ————————————————— कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

<u>सामग्रीवार वार्शिक दरें निम्नानुसार है :–</u>

——————————————————————

——————————————————————

हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

स्थान ——————————————

नाम/फर्म का नाम (यदि हो तो)

——————————————

निविदाकार से संबंधित पूरक जानकारियॉ

1. निविदाकार/फर्म के प्रतिष्ठानों का पूर्ण विवरण/पता।
2. पंजीकरण विवरण (यदि हो तो)।
3. वर्तमान व्यवसाय का विवरण/अनुभव।
4. पार्टनशिप विवरण (यदि कोई हो तो)।
5. वार्षिक व्यवसाय का विवरण (टर्नओवर)।
6. आयकर पेन नं. (यदि कोई हो तो)।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)